

**बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)**

**अधिसूचना**

ज्ञापांक:-01/चौ0-90-16/2016 गृ0आ0...../भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

(1) **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ।**—(1) यह नियमावली “बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019” कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

(2) बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-5 के उपनियम-(7) के परंतुक के पश्चात् दो नये उपनियम, क्रमशः (8) एवं (9) निम्नवत् जोड़े जायेंगे, यथा :-

“(8). **परिचालनात्मक नियंत्रण।** — इस संवर्ग के सदस्यों पर परिचालनात्मक (Operational) -नियंत्रण संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का होगा। संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इनके वेतनादि का भुगतान करेंगे, जिसके लिए उन्हें आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु अलग बजट शीर्ष सृजित किया जायेगा।

(9). **अनुशासन।** — कदाचार, अक्षमता अथवा कर्तव्य की अवहेलना आदि कारणों से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संवर्ग के कर्मियों के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी;

परंतु किसी पुलिस जिला में पदस्थापित इस संवर्ग के सदस्यों के विरुद्ध संबंधित पुलिस जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार निलंबन अथवा लघु दंड हेतु अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-1/चौ0-90-16/2016 गृ0आ0.....3229...../ पटना, दिनांक.....10.....2019

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना/ई-गजट कोषांग, कित विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 200 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

19  
ज्ञापांक:-1/चौ0-90-16/2016 गृ0आ0.....8229...../ पटना, दिनांक 01/10/2019

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के  पर सचिव

**बिहार सरकार**  
**गृह विभाग**  
**(आरक्षी शाखा)**

**-अधिसूचना-**

दिनांक-.....2016  
ज्ञापांक:-सं०-1/चौ०-90-02/2013, गृ०आ०...../पटना, भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - (1) यह नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।  
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम- 2(6) में प्रयुक्त वाक्यांश 'चौकीदार/दफादार' के पश्चात् निम्न चिन्ह एवं शब्द अंतःस्थापित किया जायेगा, :-  
"/वरीय दफादार"
3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, :-  
" 3-संवर्ग का गठन ; (1) बिहार चौकीदार संवर्ग में निम्न पद सम्मिलित होंगे-  
(i) चौकीदार- यह इस संवर्ग का मूल कोटि का पद होगा। चौकीदार पद समूह 'घ' का पद होगा।  
(ii) दफादार- यह संवर्गीय पदोन्नति का पद होगा, जो चौकीदार पद पर कार्यरत कर्मियों के प्रोन्नति के द्वारा भरा जायेगा। यह पद समूह 'ग' का पद होगा।  
(iii) वरीय दफादार- यह संवर्गीय प्रोन्नति का द्वितीय सोपान का पद होगा। यह पद दफादार पद पर कार्यरत कर्मियों के प्रोन्नति के द्वारा भरा जायेगा।  
(iv) इस संवर्ग के विभिन्न पदों की स्वीकृत बल की संख्या निम्नवत् होगी, जिसे गृह विभाग द्वारा समय-समय पर, परिवर्तित किया जा सकेगा।  
(क) चौकीदार - स्वीकृत पद की संख्या - 26000  
(ख) दफादार - स्वीकृत पद की संख्या - 1900  
(ग) वरीय दफादार- स्वीकृत पद की संख्या - 1000  
(v) विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत सभी चौकीदार एवं दफादार इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।  
(vi) यह संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग होगा एवं संबंधित जिला पदाधिकारी इसके नियुक्ति पदाधिकारी तथा संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी होंगे।"
4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-9 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, :-  
" 9-वेतनमान-चौकीदार- (i) दसवीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हेतु-  
पे बैंड 5200-20200 + ग्रेड पे 1800/-

१९

(ii) गैर दसवी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हेतु-  
पे बैण्ड 5200-20200 + ग्रेड पे 1650/-

दफादार- पे बैण्ड 5200-20200 + ग्रेड पे 1900/-

वरीय दफादार-पे बैण्ड 5200-20200 + ग्रेड पे 2000/-

5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-10 में संशोधन :-  
"नियम- 10 में प्रयुक्त वाक्यांश 'दफादार के पद पर' के पश्चात् शब्द "तथा दफादार के पद से वरीय दफादार के पद पर" अंतःस्थापित किए जाएंगे।"
6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-11 (ख) में संशोधन :-  
"नियम-11 (ख) में प्रयुक्त वाक्यांश 'चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों' के पश्चात् शब्द 'तथा तृतीयवर्गीय कर्मचारियों' को अंतःस्थापित किये जायेंगे"

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-सं0-1/चौ0-90-02/2013, गृ0आ0...../ दिनांक.....2016  
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना -07/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 अतिरिक्त प्रतियाँ कार्यालय प्रयोग हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-सं0-1/चौ0-90-02/2013, गृ0आ0...../ दिनांक.....2016

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-सं0-1/चौ0-90-02/2013, गृ0आ0...../ दिनांक.....2016

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

**बिहार सरकार**  
**गृह (आरक्षी) विभाग**  
**अधिसूचना**

सं०-1/चौ०-90-01/2014 गृ०आ०...../पटना, दिनांक.....  
 भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:- (1) यह नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।  
 (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।  
 (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-2 के उपनियम (5) के बाद निम्नलिखित उपनियम क्रमशः (6) एवं (7) जोड़े जायेंगे, यथा :-  
 “(6) ‘स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पात्र व्यक्ति’ से अभिप्रेत है वैसे चौकीदार/दफादार जिसकी अर्हक सेवा 20 वर्षों की हो गयी हो तथा उनकी उम्र 55 वर्ष से कम न हो।  
 (7) ‘आश्रित’ से अभिप्रेत है सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्र-वधु जिसने पुर्नविवाह न की हो।”
3. उक्त नियमावली के नियम-5 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे :-  
 (i) उपनियम (2) में प्रयुक्त शब्द “आठवीं” को शब्द “दसवीं अथवा समकक्ष” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।  
 (ii) उपनियम-(7) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़े जायेंगे, यथा :-  
     “परंतुक-  
     (क) चौकीदार संवर्ग के कर्मचारी अपनी वार्धक्य सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं चौकीदार पद पर अपने द्वारा नामित किसी आश्रित को नियोजित करने के लिए आवेदन कर सकेगा।  
     (ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र-सीमा संबंधी प्रावधान उन पर लागू रहेगा।  
     (ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त व्यक्ति के आश्रित को इस परन्तुक का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।  
     (घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का इच्छुक चौकीदार संवर्ग के व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की अपनी इच्छित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व अपने पदस्थापन जिला के जिला पदाधिकारी को अपना आवेदन देना होगा।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)  
 अपर सचिव  
 गृह विभाग

ज्ञापांक:-1/चौ0-90-01/2014 गृ0आ0.....1896...../पटना, दिनांक.....05.03.14.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग बिहार, पटना/ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि गजट की 500 प्रतियाँ गृह (आरक्षी) विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

 5/3/14

अपर सचिव

गृह विभाग

ज्ञापांक:-1/चौ0-90-01/2014 गृ0आ0.....1896...../ पटना, दिनांक.....05.03.14.....

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 5/3/14

अपर सचिव

गृह विभाग

14

(22/8) 16

बिहार सरकार  
गृह (आरक्षी) विभाग  
अधिसूचना

स०-1/चौ./दफा.90-01/2001- गृ.आ. 9339 पटना, दिनांक- 25/08/2006

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा चौकीदार संवर्ग की भर्ती, सेवा शर्तों एवं प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते है:-

- 1- नाम, विस्तार तथा प्रारंभ:-
  1. ये नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 कही जा सकेगी ।
  2. इसका प्रसार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  3. यह तुरंत प्रभावी होगा।
- 2- परिभाषाएँ :- (1) इस नियमावली में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो- राज्यपाल से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल ।
  - (2) संवर्ग से अभिप्रेत है चौकीदार संवर्ग ।
  - (3) सदस्य से अभिप्रेत है चौकीदार संवर्ग में नियुक्त एवं नियुक्त होने वाले व्यक्ति ।
  - (4) 'जिला पदाधिकारी' से अभिप्रेत है वह पदाधिकारी जिसपर दांडिक विषयों से संबंधित जिलों के कार्यपालक प्रशासन का प्रभार हो, चाहे ऐसे पदाधिकारी का नाम कुछ भी क्यों न हो ।
  - (5) नियुक्ति प्राधिकार:- नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है, किसी जिला के जिला पदाधिकारी ।
- 3- संवर्ग का गठन:-
  1. विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत सभी चौकीदार एवं दफादार इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे;
  2. यह संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग होगा एवं संबंधित जिला पदाधिकारी इसके नियुक्ति पदाधिकारी तथा संदर्ग नियंत्रण पदाधिकारी होंगे ।
- 4- आरक्षण :- नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आरक्षण के नियम लागू होंगे एवं रोस्टर का अनुपालन जिला स्तर पर होगा ।
- 5- नियुक्ति :- (1) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित रूप से गठित समिति के द्वारा चौकीदारों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु अनुशंसा की जायेगी:-

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. जिला पदाधिकारी                                                     | - अध्यक्ष |
| 2. आरक्षी अधीक्षक                                                     | - सदस्य   |
| 3. जिला के सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी                                    | - सदस्य   |
| 4. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी                       | - सदस्य   |
| 5. जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/जन-जाति के एक पदाधिकारी | - सदस्य   |

  - (2) शैक्षणिक योग्यता- चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होगी।
  - (3) अभ्यर्थी का चरित्र अवश्य ही अच्छा हो एवं उसके/उसकी चरित्र की जांच उनकी नियुक्ति के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा करवायी जाएगी।
  - (4) उम्र सीमा- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत उम्र सीमा संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
  - (5) अभ्यर्थी को साईकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा । महिला अभ्यर्थी के मामले में यह शर्त शान्त समझी जायेगी ।

(6) चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय थाना क्षेत्र के अन्तर्गत होगा। स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

(7) चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र नियोजनालय के माध्यम से जिला पदाधिकारी के कार्यालय में आमंत्रित किये जायेंगे और इसका व्यापक प्रचार/ विज्ञापन/ संबंधित थाना/ पंचायत/ अंचल में किया जाएगा एवं सूचना संबंधित अंचल के सभी सार्वजनिक स्थानों पर लगायी जाएगी। आवेदन पत्र में नियोजनालय के निबंधन संख्या का उल्लेख आवश्यक होगा।

6- परिवीक्षा- चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पायी जाय तो परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। अगर बहिर्गत अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय, तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।

7- प्रशिक्षण- परिवीक्षा की अवधि के दौरान प्रशिक्षु को वांछित प्रशिक्षण में भाग लेना होगा।

8- सम्पुष्टि- परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक पूर्णता के बाद सेवा सम्पुष्ट की जा सकती है।

9- वेतनमान- चौकीदार पद :- 2550-55-2660-60-3200  
दफादार पद :- 2610-60-3150-65-3540

10- प्रोन्नति- नियम 5 में गठित समिति की अनुशंसा पर कार्यक्षेत्र तथा संतोषजनक कार्यकलाप के आधार पर चौकीदार के पद से दफादार के पद पर प्रोन्नति जिला स्तर पर रिक्तियों के विरुद्ध दी जा सकेगी जो वरीयता सह मेधा पर आधारित होगा।

11- निरसन एवं व्यावृत्ति-

(क) बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-359 दिनांक 17.01.1990, 4060 दि०-04.05.05, 11741 दि०-07.12.05 संख्या-12094 दि०-11.11.2004 जो परिपत्र संख्या-11741 दि०-07.12.2004 द्वारा संशोधित हो चुका है, को छोड़कर चौकीदार एवं दफादार की नियुक्ति/प्रोन्नति से संबंधित बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत ऐसे सभी नियम/आदेश/परिपत्र जो इन नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल है, प्रभावी नहीं रहेंगे।

(ख) ये नियम राज्य सरकार द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों संबंधी बनाये गये अन्य सभी नियमों के अतिरिक्त होंगे।

12- जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं है, इसके संबंध में राज्य सरकार के चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/आदेश लागू होंगे। नियमावली प्रवृत्त होने के पूर्व की गयी संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति/प्रोन्नति की कार्यवाही नियमावली के अधीन की गयी कार्यवाही समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

(अफजल अमानुल्लाह)  
आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापांक-1/चौ./दफा.90-01/2001- गृ.आ.4339 पटना, दिनांक- 25/08/2006  
प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

(अयुक्त एवं सचिव।)